**बिहार सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

पत्रांक – वि0प्रा0व³ –226/09 19 /पटना, दिनांक– 6.1.2010

"वित विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

प्रेषक,

अख्तर ईमाम,
उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कैरियर एडभांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रोन्नति एवं प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–235 दिनांक–09.06.08 एवं पत्रांक–182 दिनांक–26.05.08

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कैरियर एडभांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) वेतनमान 10,000–325–15,200 एवं व्याख्याता (प्रवर कोटि) वेतनमान 12,000–420–18,300 में दी गई प्रोन्नति नियमित प्रोन्नति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रोन्नति को व्यक्तिगत प्रोन्नति मानी जायें। साथ ही इन मामलों में प्रोन्नति का लाभ देते हुए व्याख्याताओं के वेतन का निर्धारण एफ0 आर0 22 (i) ए (i) के तहत किया जाए।

विश्वासभाजन

6/1/10
उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

5/01

05.01.10(R)